

प्रेस नोट दिनांक- 03.06.2021 जनपद सिद्धार्थनगर

कोविड महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने वालों व्यक्तियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में श्री सुरेश चन्द्र रावत, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन में कोविड-19 महामारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने व कोविड महामारी अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया गया ।

इस क्रम में आज दिनांक 21-05-2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत मास्क न लगाने तथा अन्य कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने के कारण महामारी अधिनियम की धारा 3, 4 व 5 का उल्लंघन करने वाले 178 व्यक्तियों का चालान किया गया तथा उनसे कुल ₹ 30,050/- की धनराशि शमन शुल्क के रूप में वसूली गई ।

प्रेस नोट दिनांक 21.05.2021 जनपद सिद्धार्थनगर

मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों व्यक्तियों के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही ।

यातायात नियमों का उल्लंघन कर फर्टा भरने वाले वाहनों/व्यक्तियों का ई-चालान व सीज करने की कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है, इसी क्रम में आज दिनांक:- 21-05-2021 को जनपदीय पुलिस बल द्वारा एम0वी0 एक्ट के अंतर्गत 681 वाहनों को चेक किया गया तथा कुल 167 वाहनों का चालान कर ₹ 1,36,000/-शमन शुल्क वसूल किया गया ।

प्रेस नोट:- दिनांक 21.05.2021

यू0पी0-112 सिद्धार्थनगर के पीआरवी-1508 (चार पहिया) थाना जोगिया जनपद सिद्धार्थनगर के पीआरवी कर्मियों द्वारा मारुति कार व टैम्पो में एक्सीडेंट व टैम्पो चालक के गम्भीर रूप से घायल होने की सूचना पर मात्र 05 मिनट में मौके पर पहुंचकर घायल को एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भेजवाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा पीआरवी के कार्य, व्यवहार सूझ-बूझ एवं तत्परता की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

दिनांक 20.05.2021 को समय 21:17 बजे एक कालर ने बताया कि थानाक्षेत्र जोगिया में सूपा राजा गैस एजेन्सी के पास मारुति और टैम्पो में एक्सीडेंट हो गया है, टैम्पो चालक घायल है, दोनों वाहन मौके पर मौजूद हैं। इस सूचना पर पीआरवी कर्मियों द्वारा मात्र 05 मिनट में मौके पर पहुंचकर देखा कि मारुति स्वेप्ट और टैम्पो में एक्सीडेंट हुआ है, टैम्पो चालक जिसका नाम भरत है, गम्भीर रूप से घायल है। पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से घायल को जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटनास्थल पर उपस्थित प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा पीआरवी के कार्य, व्यवहार सूझ-बूझ एवं तत्परता की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

ड्यूटी पर तैनात कर्मचारीगण-

कमाण्डर:- अशोक कुमार

सबकमाण्डर:- पुजारी

पीआरवी पायलट:- सन्तोष पाण्डेय

प्रेस नोट दिनांक 21-05-2021

आज दिनांक 21.05.2021 को थाना परिसर डुमरियागंज में विधायक श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह व एसडीएम डुमरियागंज श्री त्रिभुवन ने डुमरियागंज पुलिस से अनुरोध किया कि एक एक ग्राम का चयन करें तथा आप लोग अपने चयनित ग्राम में जाकर कोरोना महामारी के प्रकोप से बचने के लिए हर सम्भव उपाय बताकर लोगों को जागरूक करें तथा लोगो द्वारा टीकाकरण को लेकर फैलाई गई अफवाहों को दूर कर टीका लगवाने के लिए जागरूक करें। टीकाकरण कराने व निगरानी समिति के साथ लोगो को कोविड की जांच कराने के लिए कहें जिससे कि कोरोना को मात दिया जा सके। तथा सभी पुलिस कर्मियों को मास्क व अंगवस्त्र(गमछा) वितरित किया गया। जिसमें प्रभारी निरीक्षक डुमरियागंज श्री कृष्ण देव सिंह सहित थाना डुमरियागंज के समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे ।